




मूलवाद संख्या 2024/057

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
रेणु बनाम मदन लाल व अन्य

विविध प्रार्थना संख्या 2024/045

अन्तर्गत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
07.10.2024	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जरनैल सिंह टुरना द्वारा उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत. वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत. दर्ज पंजिका हो। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 04 नवम्बर, 2024 को पेश हो. 	
4-11-24	आज बार सघ न कार्य नहीं करन का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...18-12-24 को पेश हो 	
18.12.24	अधिवक्ता प्रार्थी इफ्त / अया कर्कि. व द्वारा अधिवक्ता की युक्तिगत इफ्त युक्ति मूलतः या रिज किना जा युक्ति ही अतः कि. का 212 (2) एनए का कोई अधिनियम नहीं रहे जात है अतः कि. का एन 212 (2) एनए वर्तमान स्तर पर खारिज किना जाता है। पत्रावली नवम्बर 2024 को पत्रावली द्वारा पत्रावली जाकर निर्णय ही 212 (2) शामिल हो 	A-6 